सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
क्षेत्रीय कार्यालय–पश्चिम उ0प्र0, लखनऊ Regional Office - West UP, Lucknow.
3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उ.प्र.)
3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)
दूरभाष / Phone : 0522-4960291, टेलीफैक्स / Fax : 0522-4950680
ई–मेल / E-mail : rowestup@nhai.org, rowestup@gmail.com

19001/1/RO-W-UP/Forest/ 18844 दिनांकः 06.01.2023

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन,
5th फ्लोर, सेक्टर–2, अलीगंज, लखनऊ–226024.

विषयः एटा में अलीगढ़–कानपुर सैक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के कि0मी0 186.00 से कि0मी0 229.00 तक चारलेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधे के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः आपका पत्रांक 404 FRCM/Minutes दिनांक 27.12.2022.

महोदया,

दिनांक 19.12.2022 को आयोजित FRCM की बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय–पश्चिमी, उ0प्र0 के संयुक्त सलाहकार द्वारा उक्त विषयक अलीगढ़–कानपुर पैकेज–2 स्टेज–1 की compliance जमा करने की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि "उक्त मार्ग पर डी0एफ0ओ0 एटा ने अपने पत्रांक 1207/14–1 एटा दिनांक 13.12.2022 से परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0 अलीगढ़ को सूचित किया कि उक्त प्रस्ताव में **सैंथरी वन ब्लाक एटा रेंज की गाटा संख्या–1076/0.352, 1077/0.0117, 1099/0.0557, 1101/0.0184, 1105/0.0655, 1106/0.0663 व 739/0.0258 कुल 7 गाटाओं में कुल रकवा–0.2786 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि** प्रभावित हो रही है, जिसे आपके द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/22374/2016 में शामिल नहीं किया गया है। अतः उक्त आरक्षित वन भूमि को उक्त प्रस्ताव में शामिल कराते हुए संशोधित प्रस्ताव या अलग से उक्त आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करें, तदोपरान्त ही उक्त प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।"

उक्त तिथि को FRCM में उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी व आपके द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संबंध में नये प्रस्ताव प्रेषित करने की आवश्यकता नही है बल्कि उक्त भूमि का एन0पी0वी0 व CA हेतु भूमि चिन्हित कर वृक्षारोपण की धनराशि जमा करा लिया जाये, पुराने प्रस्ताव में ही प्रभावित भूमि 0.2786 हेक्टेयर को शामील कर क्षेत्रफल को NIC से संशोधित करा लिया जाये व तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

महोदया उक्त तिथि को आयोजित FRCM बैठक के कार्यवृत्त में त्रुटिवश आपके उक्त निर्देश छूट गये है।

प्रधान कार्यालयः जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 ● दूरभाष : 91-11-25074100, 200 ● वेबसाइट : www.nhai.gov.in
Corporate Office : G-5 & 6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110 075 ● Phone : 91-11-25074100/200 ● Website : www.nhai.gov.in

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे निवेदन है कि उक्त निर्देशों को सम्मिलित करते हुए संशोधित कार्यवृत्त प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

सं० D.F.O ETAH का पत्रांक 1207- दि० 13 12/2022

भवदीय,

(मुकेश कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी–उ०प्र० (पश्चिमी),

प्रतिलिपिः

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़।
3. परियोजना निदेशक–अलीगढ़।

ETAH.

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 1207/15-1

एटा:दिनांक 13-12-2022

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
अलीगढ़।

विषयः— **एटा में अलीगढ़—कानपुर सैक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—91 के कि0मी0 186.00 से कि0मी0 229.00 तक चारलेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधे के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— आपके कार्यालय की अन्तिम पत्र संख्या— डी—18712 दिनांक 15.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपको पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि उक्त प्रस्ताव में सैंथरी वन ब्लाक एटा रेंज की गाटा संख्या—1076/0.352, 1077/0.0117, 1099/0.0557, 1101/0.0184, 1105/0.0655, 1106/0.0663 व 739/0.0258 कुल 7 गाटाओं में कुल रकवा— 0.2786 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसे आपके द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Road/22374/2016 में शामिल नहीं किया गया है।

अतः उक्त आरक्षित वन भूमि को उक्त प्रस्ताव में शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव या अलग से उक्त आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करें तदोपरान्त ही उक्त प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

भवदीय,

(सौरीष सहाय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0,लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा।

(सौरीष सहाय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।